

कार्यालय ,उप प्रभागीय वनाधिकारी ,(अदनाला )कालागढ टाइगर रिजर्व ,प्रभाग  
पत्राक,2781/ 6-28 दिनांक,लैन्सडौन, मार्च 24 2011।  
सेवा

प्रभागीय वनाधिकारी  
कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग  
लैन्सडौन ।

विषय - गुलदार को गौशाला में बन्द होना ।  
महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 22.03.2011 को साय: लगभग 5.00 बजे ग्राम  
धामधार में एक लेपर्ड (गुलदार) एक गौशाला में घुस गया है, जिसे ग्रामीणों द्वारा गौशाला  
का दरवाजा बन्द कर लेपर्ड (गुलदार) को गौशाला में बन्द कर दिया । रात्रि लगभग 10.00  
बजे गुलदार किसी तरह दरवाजे के पलडो के बीच से निकलने में कामयाब हुआ तथा दो  
व्यक्तियों श्री गजे सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह ग्राम धामधार व श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन  
सिंह ग्राम धामधार को घायल कर दिया गया । दोनों घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु रात्रि  
को ही वन क्षेत्राधिकारी अदनाला द्वारा तत्काल राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार ले  
जाया गया । गाँव में ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु अदनाला रेंज का स्टाफ गाँव में तैनात कर  
दिया था ।

दिनांक 23.03.2011 को सुबह पुनः लगभग 5.00 बजे लेपर्ड (गुलदार)  
द्वारा श्री भारत सिंह पुत्र श्री डबल सिंह ग्राम बीरोवाडी को घायल किया गया जिनका भी  
उपचार राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार में किया गया । घटना के बाद गुलदार पुनः 6 बजे  
गाँव के गौशाला में घुस गया जिसे ग्रामीणों द्वारा गौशाला में बन्द कर दिया गया ।  
अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23.03.2011 को लगभग 12.00 बजे गुलदार को पकड़ने हेतु पिजड़ा व  
देकुलाइजिंग गन लेकर ग्राम धामधार पहुँचा जहाँ मौके पर आप भी लगभग 2.00 बजे पहुँचे ।  
गुलदार लगभग 4.00 बजे पिजड़े में फँसा जहाँ लगभग 38 विभागीय अधिकारी/कर्मचारी एवं  
3-4 गाँव के लगभग 200 महिलाएँ/पुरुष मौके पर थे। पिजड़े में बन्द गुलदार को लाते  
समय स्थानीय ग्रामीणों ने गुलदार पर बाल्टी से मिट्टी का तेल डाल दिया कर्मचारियों के  
काफी प्रयास के बाद भी ग्रामीण नहीं माने व उन्होंने गुलदार पर आग लगा दी। जिससे  
लगभग 4.30 से 5.00 बजे के मध्य गुलदार ने दम तोड़ दिया । जब ग्रामीण गुलदार पर  
बाल्टी से मिट्टी का तेल डाल रहे थे तो गुलदार को बचाने में प्रयासरत श्री बृजबिहारी शर्मा  
रेंज अधिकारी पलेन एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ((उर्फ भोटी भाई)) तथा कुछ अन्य कर्मचारी भी  
मिट्टी तेल से भीग गये । साय: लगभग 5.30 बजे मृत गुलदार का पशु चिकित्साधिकारी  
दुगड्डा की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया गया ।

महोदय मृत मादा गुलदार को मारने वालों की पहचान की गई जिनमें  
कुछ व्यक्तियों/महिलाओं की शिनाख्त हो पाई उनके विरुद्ध थाना रिखणीखाल में प्रथम  
सूचना रिपोर्ट संख्या - 028624 दिनांक 23.03.2011 को दर्ज कराई गयी है जिन्हे मु0अ0स0  
2/11 धारा 9,51,52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सरकार बनाम् उदय सिंह  
आदि के नाम से दर्ज की गई। पहचाने गये अभियुक्तों का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1- श्री उदय सिंह पुत्र श्री नामालूम निवासी धामधार गढवाल ।
- 2- श्री भानु पुत्र नामालूम निवासी धामधार गढवाल ।
- 3- श्री मनवर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह ग्राम बबालियाणी गढवाल ।
- 4- श्री विजय सिंह पुत्र श्री नामालूम निवासी खदरासी गढवाल ।

हार्थ प्री अमनित

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्बेट टाइगर रिजर्व  
रामनगर (नैनीताल)